Neutral Citation No. - 2026:AHC:50095

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 852 वर्ष 2026

तुलसी राम तथा एक अन्य .....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 5 अन्य .....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता	: आयुषी सिंह, जिज्ञासा सिंह, नवीन कुमार
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित राहत हेतु दाखिल की गई है :

> *"(ए) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश निर्गत किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 को निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश चकबंदी एवं जोत संधारण नियमावली, 1954 के नियम 109A के अंतर्गत याचिकाकर्तागण द्वारा दायर प्रार्थना-पत्र, वाद संख्या /2019 (राम लखन (स्वर्गीय) एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), जो दिनांक 28.01.2019 से लंबित है, में पुनरीक्षण संख्या 440 (लाल बहादुर सिंह बनाम महादेव) में पारित आदेश दिनांक 29.08.1986 के क्रियान्वयन हेतु यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय करें, जिससे याचिकाकर्तागण को न्याय प्राप्त हो सके।"*

3. यह निवेदन किया गया कि उपर्युक्त प्रकरण पर्याप्त अवधि से विचाराधीन है, तथापि उसके शीघ्र निस्तारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि यदि उपर्युक्त प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश निर्गत किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, इस वाद को लंबित रखे जाने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः यह न्यायालय, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि प्रत्यर्थी संख्या 4/चकबंदी अधिकारी, जिसके समक्ष उपर्युक्त प्रकरण लंबित है, यदि कोई विधिक बाधा न हो, तो उसका विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर निस्तारण करें।

6. उपर्युक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

Translated Version. Not for Legal Use.

दिनांक : 11 मार्च, 2026
विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।